

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

भोपाल दिनांक 02/05/2016

आदेश

क्रमांक एफ-53/02/2011/यो/19 म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-53/02/2011/यो/19/5788 दिनांक 25.10.2011 द्वारा निविदाओं में अव्यवहारिक दरों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसी निविदायें जिनमें निविदा दर एस0ओ0आर0 से 10 प्रतिशत कम से भी कम आती है, उनमें अनुबंध के पूर्व सफल ठेकेदार से एस0ओ0आर0 से 10 प्रतिशत कम से अधिक कमी के निविदा प्रतिशत के अंतर की अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी लिये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं, में राज्य शासन एतद् द्वारा आंशिक संशोधन करते हुये केवल परिपत्र में कंडिका क्रमांक-1 में उल्लेखित "10 प्रतिशत" के स्थान पर "15 प्रतिशत" प्रतिस्थापित करता है। परिपत्र में उल्लेखित सभी शर्तें यथावत रहेगी।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 02/05/2016

मू0 क्रमांक एफ-53/02/2011/यो/19 2418
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0 भोपाल।
3. समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
4. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0 मध्यप्रदेश।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, मण्डल कार्यालय लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0 मध्यप्रदेश।
8. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।

